

कार्यालय जिलाधिकारी, कासगंज

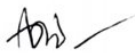
जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद कासगंज में गठित “जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन” (DWSM) समिति की दिनांक 28-06-2021 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

प्रमुख सचिव, उ० प्र० शासन नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग-1 के शा०सं० 95/छिहत्तर-1-2020-20 स्वजल/2010 टी.सी.-अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं० 2211/38-05-2010-20 स्वजल/2010 (टी.सी.-अ) दिनांक 29 नवम्बर 2010 को संशोधित करते हुये जनपद स्तर पर गठित “जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन” समिति की बैठक दिनांक 28-06-2021 को आयोजित की गई। जिसमें निम्नलिखित सदस्यो द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

1. जिलाधिकारी, कासगंज	- अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधिकारी, कासगंज	- उपाध्यक्ष
3. जिला विकास अधिकारी, कासगंज	- सदस्य
4. प्रभागीय वनाधिकारी स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य	- सदस्य
5. परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, कासगंज	- सदस्य
6. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कासगंज	- सदस्य
7. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कासगंज	- सदस्य
8. अधिशासी अभियन्ता, वॉटर रिसोर्स/सिंचाई	- सदस्य
9. जिला कृषि अधिकारी, कासगंज	- सदस्य
10. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, कासगंज	- सदस्य
11. श्री राधा कृष्ण दीक्षित, कासगंज	- नामित सदस्य
12. अधिशासी अभियन्ता, नि०ख० उ०प्र० जल निगम कासगंज	- सदस्य सचिव

अधिशासी अभियन्ता एवं सदस्य (सचिव), नि०ख० उ०प्र० जल निगम, कासगंज द्वारा अवगत कराया गया है, कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा जनपद कासगंज में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिये नई योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मै० पी.एन.सी. इन्फ्राटेक प्रा०लि० आगरा एवं रेट्रोफिटिंग योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मै० आर्येन एक्सचेन्ज, अलीगढ को चयनित किया गया है। जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से “जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति” द्वारा मै० पी.एन.सी. प्रा०लि० आगरा की फर्म को 391 ग्राम पंचायतों की सूची एवं मै० आर्येन एक्सचेन्ज, अलीगढ की फर्म को 09 नग ग्राम पंचायतों की सूची उपलब्ध कराई गई। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत फर्म द्वारा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) तथा जल निगम मुख्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये निर्देशों के अनुपालन में कुल 10 नग जिसमें से 05 नग नये ग्रा० पेयजल योजनाओं एवं 05 नग पुनर्गठन पे०यो० की डी.पी.आर बैठक में प्रस्तुत की गई।

letter



मै० पी.एन.सी. प्रस्तुत 05 नग नई योजनाओं में 01 नग योजना की प्रति व्यक्ति लागत 6000.00 रु. से अधिक पाई गई। शेष सभी 09 नग योजनाओं की प्रति व्यक्ति लागत 6000.00 रु. से कम पाई गई। अतः समिति द्वारा रु. 6000.00 प्रति व्यक्ति लागत से कम वाली सभी 09 नग योजनाओं पर ही विचार विमर्श किया गया। रु. 6000.00 से अधिक लागत वाली योजनाओं हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से दिशा निर्देश प्राप्त होने पर ही समिति द्वारा विचार किया जा सकेगा। डी.पी.आर. विवरण हेतु गाइड लाइन के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :-

1. Population Projection हेतु आधार वर्ष 2022, मध्य वर्ष 2037 और डिजाइन वर्ष 2052 रखा जाये। विभिन्न Mathematical एवं Graphical माडल्स के आधार पर सर्वोत्तम एवं उचित जनसंख्या का चयन किया जाये।
2. नलकूप और पम्पिंग प्लान्ट के डिजाइन मध्य वर्ष (15 वर्ष) की वाटर डिमान्ड पर किया जाये।
3. अवर जलाशय की क्षमता की गणना मध्य वर्ष (15 वर्ष) पर Draw off पैटर्न पर की जाये।
4. सामान्यतः सोलर आधारित योजनाएँ निम्नित की जाये, जिस हेतु पम्पिंग Hours 6.5 लिया जाये।
5. वितरण प्रणाली में न्यूनतम पाइप का व्यास 63 एम.एम. रखा जाये एवं 200 एम.एम. व्यास तक एच.डी.पी.ई. पाइप एवं 200 एम.एम. व्यास से अधिक हेतु डी.आई. पाइप का प्रयोग किया जाये।
6. वितरण प्रणाली के डिजाइन हेतु न्यूनतम टर्मिनल प्रेशर 7.0 मी० रखा जाये।
7. वाटर डिमान्ड की गणना हेतु 55 LPCD + 15% unaccounted water को लिया जाये।
8. ग्राम के प्रत्येक घर को गृह पेयजल संयोजन दिया जाना है, एवं प्रत्येक सार्वजनिक स्थल पर एक स्टैंड पोस्ट का प्राविधान किया जाये।
9. एक फायर हाइड्रेंट वाटर वर्क्स पर एवं एक फायर हाइड्रेंट प्रत्येक राजस्व ग्राम में दिया जाये।
10. वाटर वर्क्स हेतु वाउन्ट्री वॉल की ऊँचाई 1.20 मी० रखी जाये एवं 3.6 मी० चौड़ाई का मैन गेट एवं 1.20 मी० चौड़ाई का विकेट गेट रखा जाये।

फर्म द्वारा प्रस्तुत डी.पी.आर. में ली गई कार्यों की दरें SWSM तथा जल निगम द्वारा निर्गत दरों के आधार पर ली गई है। समस्त प्रस्तुत डी.पी.आर. की SWSM तथा जल निगम द्वारा निर्गत की गई तकनीकी गाइडलाइन के अनुरूप सघनता से जाँच की गई। जाँच में पाई गई कमियों का निराकरण करते हुये, समस्त डी.पी.आर. जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को प्रस्तुत की गई। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

SI No.	District	Block	Name of Scheme	Total No. of GP	Total no. of Rev. village	Total no. of Hab.	FHTC	Population detail		Estimated cost (Rs. In lac) (Centage + GST)	OHT (no.)	OHT capacity (kl)	D.S. (km.)
								Base Year 2022	Design year 2052				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	16	17	23
1	Kasganj	Kasganj	Bhaisora Bujurg Water Supply Scheme	1	1	3	592	2956	4346	282.16	1	175	6.857
2	Kasganj	Kasganj	Tilsai kalan Water Supply Scheme	1	2	3	666	3329	5227	338.12	1	225	9.099
3	Kasganj	Amanpur	Barikhera Water Supply Scheme	1	1	3	517	2582	3792	252.77	1	175	6.391
4	Kasganj	Amanpur	Sailai Water Supply Scheme	1	2	2	624	3116	4680	272.14	1	200	6.048
5	Kasganj	Kasganj	Kisrauli Water Supply Scheme	1	1	4	527	3087	4543	205.93	1	150	9.01
6	Kasganj	Soron	Udher Pukhta Water Supply Scheme	1	1	1	635	4029	6864	210.81	1	150	6.69
7	Kasganj	Ganj Dundwara	Sujawalpur Water Supply Scheme	1	1	3	1815	12806	26044	355.21	1	750	11.56
8	Kasganj	Sahawar	Kojpur Water Supply Scheme	1	1	13	2042	11993	17391	595.80	1	600	29.09
9	Kasganj	Amanpur	Kachela Sherpur Water Supply Scheme	1	1	5	1114	6387	9242	393.88	1	350	16.05
			TOTAL							2906.82			

letter

अतः प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन लखनऊ के आदेश सं0 1197/छियत्तर-1-2021-25 सम/2019 दिनांक 21 मई 2021 के अनुपालन में कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये प्राक्कलनों को नियमानुसार रु. 2.00 करोड से अधिक लागत की 09 नग पेयजल योजनाओं को जिला स्तर पर "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" हेतु गठित समिति द्वारा संस्तुति कर अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

जिला विकास अधिकारी
कासगंज
(सदस्य)

प्रभागीय वनाधिकारी
कासगंज
(सदस्य)

जिला मुख्य चिकित्साधिकारी
कासगंज
(सदस्य)

जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी
कासगंज
(सदस्य)

अधिशासी अभियन्ता
वाटर रिसोर्स/सिचाई
कासगंज
(सदस्य)

परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण
कासगंज
(सदस्य)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कासगंज
(सदस्य)

जिला कृषि अधिकारी
कासगंज
(सदस्य)

श्री राधा कृष्ण दीक्षित
कासगंज
(नामित सदस्य)

अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0 उ0प्र0 जल निगम
कासगंज
(सदस्य, सचिव)

मुख्य विकास अधिकारी
कासगंज
(उपाध्यक्ष)

जिलाधिकारी
(अध्यक्ष)
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति"
कासगंज